





# झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का समाप्त सदन का अंतिम दिन भी हंगामेदार



विधायक लोबिन हेबम ने कहा, राज्य में लूटी जा रही है आदिवासियों की जमीन, जोबा ने कहा- जांच करायेंगे

आजाद सिपाही संचादाता

रांची। 28 जुलाई से शुरू झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का शनिवार अंतिम दिन था। विधायक लोबिन हेबम ने राज्य में आदिवासी और मूल वासियों की जमीन छिन ली जा रही है। कानून बहुत है लेकिन उसका ठीक से पालन नहीं हो रहा है। जमीन की लूट करखाने के नाम पर, एचडीसी के नाम पर लूटी जा रही है।

सरकार कहती है कि हम कानून का पालन कर रहे हैं। सरकार भी भानी है कि कानून है लागू कर रहे हैं। एचडीसी की जमीन पर अनुसृत क्षेत्रों में भी नियम है। विधायक को कोई संदेह नहीं होता कि यह विधायक लोबिन हेबम ने कहा कि विधायक लोबिन हेबम पर जरूरत पड़ी तो मुआवजे के लिए माझिनिंग एजेंसियों पर करेंगे सर्टिफिकेट केस



डॉ रमेश्वर उरांव बोले, जरूरत पड़ी तो मुआवजे के लिए माझिनिंग एजेंसियों पर करेंगे सर्टिफिकेट केस

आजाद सिपाही संचादाता

रांची। झारखंड के वित मंत्री डॉ रमेश्वर उरांव ने विधानसभा के मानसून सत्र में विधायक प्रतीप यादव के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि 2018 तक राज्य सरकार ने काफी कोशिश की थी कि खदान के एवज में राज्य सरकार की जमीन का मुआवजा उरांव ने सदन में कहा कि दूसरा विकल्प यह है कि हम नीति आयोग के पास अपनी बातों को रखें। उरांवने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर इस्टर्न जॉनल कांटसिल की बैठक में उरांवने इस बात को गुहार लगायी। उरांवने इस्टर्न विधानसभा से पारित झारखंड प्रतिवेदी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों को रोकथाम और निवारण के उपाय) के उपर्युक्त विधेयक को अधिकार देते हुए। इसलिए मुआवजे का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। उरांवने कहा कि जरूरत पड़ी, तो सीसीएल समेत माझिनिंग करनेवाली तमाम केंद्रीय एजेंसियों पर मुआवजे के लिए सर्टिफिकेट केस भी करेंगे।

राज्य सरकार को दिये गये हैं 2500 करोड़ रुपये

झारखंड के वित मंत्री डॉ रमेश्वर उरांव ने सदन में कहा कि हम नीति आयोग के पास अपनी बातों को रखें। उरांवने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर इस्टर्न जॉनल कांटसिल की बैठक में उरांवने इस बात को गुहार लगाया था और उरांवने सफलता भी दी थी। उरांवने इस्टर्न विधानसभा से पारित झारखंड प्रतिवेदी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों को रोकथाम और निवारण के उपाय) के उपर्युक्त विधेयक 2023 की संपीड़ा कर निर्णय लेने का आग्रह किया। इस विधेयक को भाजपाइयों ने काला कानून बताया। विधायकों ने राज्यपाल को एक बात साफ़ है कि केंद्र ने राज्य की बातों को समझा है और माना भी है।

## सरफेस लैंड पर राज्य सरकार का अधिकार

कोयला सप्लाई बंद करना सांत्यूथन नहीं है

आजाद सिपाही संचादाता

झारखंड के वित मंत्री डॉ रमेश्वर उरांव ने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि पिछले वर्ष राज्य में सूखा पड़ा था। केंद्र की टीम ने दो बार राज्य का दौरा भी किया था। इसलिए इंजिनियर करने से अधिकार होता है। इस लिए राज्य सरकार मुआवजे की मांग कर सकती है। अगर सरकार यह लिए राज्य का दौरा करने से कठिन होता है। उरांवने कहा कि जानकारी देने के बाद सरकार ने उरांवने के लिए जरूरत पड़ी, तो सीसीएल समेत माझिनिंग करनेवाली तमाम केंद्रीय एजेंसियों पर सर्टिफिकेट केस किया जा सकता है।

आजाद सिपाही संचादाता

झारखंड के वित मंत्री डॉ रमेश्वर उरांव ने अधिकार को जानकारी देते हुए कहा कि विधेयक को राज्य सरकार का अधिकार होता है। इसके लिए जरूरत पड़ी, तो सीसीएल समेत माझिनिंग करनेवाली तमाम केंद्रीय एजेंसियों पर सर्टिफिकेट केस किया जा सकता है।

आजाद सिपाही संचादाता

झारखंड के वित मंत्री डॉ रमेश्वर उरांव ने अधिकार को जानकारी देते हुए कहा कि विधेयक को राज्य सरकार का अधिकार होता है। इसके लिए जरूरत पड़ी, तो सीसीएल समेत माझिनिंग करनेवाली तमाम केंद्रीय एजेंसियों पर सर्टिफिकेट केस किया जा सकता है।

आजाद सिपाही संचादाता

झारखंड के वित मंत्री डॉ रमेश्वर उरांव ने अधिकार को जानकारी देते हुए कहा कि विधेयक को राज्य सरकार का अधिकार होता है। इसके लिए जरूरत पड़ी, तो सीसीएल समेत माझिनिंग करनेवाली तमाम केंद्रीय एजेंसियों पर सर्टिफिकेट केस किया जा सकता है।

आजाद सिपाही संचादाता

झारखंड के वित मंत्री डॉ रमेश्वर उरांव ने अधिकार को जानकारी देते हुए कहा कि विधेयक को राज्य सरकार का अधिकार होता है। इसके लिए जरूरत पड़ी, तो सीसीएल समेत माझिनिंग करनेवाली तमाम केंद्रीय एजेंसियों पर सर्टिफिकेट केस किया जा सकता है।

आजाद सिपाही संचादाता

झारखंड के वित मंत्री डॉ रमेश्वर उरांव ने अधिकार को जानकारी देते हुए कहा कि विधेयक को राज्य सरकार का अधिकार होता है। इसके लिए जरूरत पड़ी, तो सीसीएल समेत माझिनिंग करनेवाली तमाम केंद्रीय एजेंसियों पर सर्टिफिकेट केस किया जा सकता है।

आजाद सिपाही संचादाता

झारखंड के वित मंत्री डॉ रमेश्वर उरांव ने अधिकार को जानकारी देते हुए कहा कि विधेयक को राज्य सरकार का अधिकार होता है। इसके लिए जरूरत पड़ी, तो सीसीएल समेत माझिनिंग करनेवाली तमाम केंद्रीय एजेंसियों पर सर्टिफिकेट केस किया जा सकता है।

आजाद सिपाही संचादाता

झारखंड के वित मंत्री डॉ रमेश्वर उरांव ने अधिकार को जानकारी देते हुए कहा कि विधेयक को राज्य सरकार का अधिकार होता है। इसके लिए जरूरत पड़ी, तो सीसीएल समेत माझिनिंग करनेवाली तमाम केंद्रीय एजेंसियों पर सर्टिफिकेट केस किया जा सकता है।

आजाद सिपाही संचादाता

झारखंड के वित मंत्री डॉ रमेश्वर उरांव ने अधिकार को जानकारी देते हुए कहा कि विधेयक को राज्य सरकार का अधिकार होता है। इसके लिए जरूरत पड़ी, तो सीसीएल समेत माझिनिंग करनेवाली तमाम केंद्रीय एजेंसियों पर सर्टिफिकेट केस किया जा सकता है।

आजाद सिपाही संचादाता

झारखंड के वित मंत्री डॉ रमेश्वर उरांव ने अधिकार को जानकारी देते हुए कहा कि विधेयक को राज्य सरकार का अधिकार होता है। इसके लिए जरूरत पड़ी, तो सीसीएल समेत माझिनिंग करनेवाली तमाम केंद्रीय एजेंसियों पर सर्टिफिकेट केस किया जा सकता है।

आजाद सिपाही संचादाता

झारखंड के वित मंत्री डॉ रमेश्वर उरांव ने अधिकार को जानकारी देते हुए कहा कि विधेयक को राज्य सरकार का अधिकार होता है। इसके लिए जरूरत पड़ी, तो सीसीएल समेत माझिनिंग करनेवाली तमाम केंद्रीय एजेंसियों पर सर्टिफिकेट केस किया जा सकता है।

आजाद सिपाही संचादाता

झारखंड के वित मंत्री डॉ रमेश्वर उरांव ने अधिकार को जानकारी देते हुए कहा कि विधेयक को राज्य सरकार का अधिकार होता है। इसके लिए जरूरत पड़ी, तो सीसीएल समेत माझिनिंग करनेवाली तमाम केंद्रीय एजेंसियों पर सर्टिफिकेट केस किया जा सकता है।

आजाद सिपाही संचादाता

झारखंड के वित मंत्री डॉ रमेश्वर उरांव ने अधिकार को जानकारी देते हुए कहा कि विधेयक को राज्य सरकार का अधिकार होता है। इसके लिए जरूरत पड़ी, तो सीसीएल समेत माझिनिंग करनेवाली तमाम केंद्रीय एजेंसियों पर सर्टिफिकेट केस किया जा सकता है।

आजाद सिपाही संचादाता

झारखंड के वित मंत्री डॉ रमेश्वर उरांव ने अधिकार को जानकारी देते हुए कहा कि विधेयक को राज्य सरकार का अधिकार होता है। इसके लिए जरूरत पड़ी, तो सीसीएल समेत माझिनिंग करनेवाली तमाम केंद्रीय एजेंसियों पर सर्टिफिकेट केस किया जा सकता है।

आजाद सिपाही संचादाता

झारखंड के वित मंत्री डॉ रमेश्वर उरांव ने अधिकार को जानकारी देते हुए कहा कि विधेयक को राज्य सरकार का अधिकार होता है। इसके लिए जरूरत पड़ी, तो सीसीएल समेत माझिनिंग करनेवाली तमाम केंद्रीय एजेंसियों पर सर्टिफिकेट केस किया जा सकता है।

आजाद सिपाही संचादाता

















